<u>लोक निर्माण विभाग, क्वालिटी प्रमोशन सेल में निर्माण सामग्री नमूना परीक्षण संदर्भित किए जाने विषयक पत्र का प्रारूप</u>

नमूना प्रेषण प्रपत्र नमू-1

प्रेषक का नामः- ....

प्रेषक का पदनामः- ....

प्रेषक का संगठनः- ....

सरकारी................../अर्द्धसरकारी...........................(निजी क्षेत्र का नमूना स्वीकार नही होगा)

प्रेषक का डाकपताः- ....

पत्र संख्याः- दिनांकः-

सेवा मेंए

उपनिदेशक (कोडिंग प्रभाग)
क्वालिटी प्रमोशन सेल
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ

महोदयए

कृपा करके निम्न विवरण के अनुसार प्रेषित निर्माण सामग्री नमूनों का परीक्षण उनके सम्मुख अंकित परीक्षण कराकर परीक्षण रिर्पोट उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	आपेक्षित परीक्षण	संख्या	पहचान चिन्ह्/कोड	कुलभार

कार्य का विवरण तथा नाम जिसमें इस सामग्री का प्रयोग किया जाना है अथवा किया गया है।
विशिष्टि का उल्लेख जिसके अनुसार उपरोक्त कार्य किया गया है या किया जाना है।

1;क) यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नमूनों को भारतीय मानक/ एम0ओ0आर0टी0एच0 विशिष्टिय/ आई0आर0सी0 कोड/ विभागीय विशिष्टियों के अनुरूप लिए गये है तथा यह .... घन मी0 अथवा .... वर्ग मी0 सामग्री या क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते है। (जो लागू हो उसे छोड़कर बाकी काट दें)। यदि सैम्पलिंग के समय इन से कोई विचलन किया गया हो तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया जाये।

1;ख) प्रमाणित किया जाता है कि सभी नमूनें उचित प्रकार की थैलिया/डिब्बों में सील करके प्रदत्त कराये गये हैंए जिनमें निम्न विवरण अंकित है।

नमूना संख्या	नमूना सामग्री	कार्य का विवरण/स्थल	नमूना लेने वाले का हस्ताक्षर	नमूना सील

2. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर संदर्भित नमूनों का परीक्षण शुल्क प्रोफार्मा बिल सं0 ....दि0 ....के विरूद्व निम्न विवरण अनुसार संलग्न हैः-

ड्राफ्ट की राशि रू0 .... बैंक ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक .... बैंक का नाम ....

3;क) केवल सीमेन्ट मार्टर/प्लास्टर तथा कंक्रीट के नमूनों का परीक्षण के लिए प्रमाणित किया जाता हैए कि इन नमूनों में उपयोग किए गये सीमेन्ट एवं बालू का नमूना भी सुरक्षित कर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अथवा

3;ख) प्रमाणित किया जाता है कि सीमेन्ट मार्टर/प्लास्टर तथा कांक्रीट आदि में प्रयुक्त अवयव सीमेन्टए बालू तथा गिट्टी अब उपलब्ध नही है न ही उनके नमूने सुरक्षित रखे गये तथा इनके परीक्षणों की गणना साधारण पोर्टलैण्ड सीमेन्ट/ पोजोलोना सीमेन्ट के मानक मान के आधार पर करके परिणाम उपलब्ध करा दिये जाये। परिणामों के लिए तय की गई परिशुद्वता सन्दर्भकर्ता को मान्य होगी। (नमूनों के अवयवों के आपूर्ति के समय किये गये परीक्षण को भी यथा संभव संलग्न किया जायेगा)।

4;क) केवल चूना सुर्खी के मसाले के परीक्षण के लिए प्रमाणित किया जाता है कि इन नमूनों में उपयोग किये गये चूना एवं सूर्खी का नमूना भी सुरक्षित कर परीक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

अथवा

4;ख) प्रमाणित किया जाता है कि चूना सुर्खी मसाले में प्रयुक्त अवयव चूना तथा सुर्खी उपलब्ध नही है न ही उनके नमूने सुर्रिक्षत रखे गये है तथा इनके परीक्षणों की गणना मानक मान के आधार पर करके परिणाम उपलब्ध करा दिये जाये। परिणामों के लिए तय की गई परिशुद्वता सन्दर्भकर्ता को मान्य होगी। नमूनों के अवयवों के आपूर्ति के समय किये गये परीक्षणों को भी यथा संभव संलग्न किया जायेगा।

पृष्ठ संख्या 1 पर दिये गये विवरण तथा पृष्ठ सं. 1 अथवा 2 पर दिये गये प्रमाणपत्र 1 ;क)/(ख)2ए 3;क)/(ख)ए4;क)/(ख) की सभी सूचनायें मेरे द्वारा भरी गई है तथा प्रमाणित है।

;प्रमाण पत्र में (क) तथा (ख) अंश में से जिसके अन्तर्गत आच्छादित न हो उसे काट दिया जाये।संलग्नक नमू–1 अ में दी गई शर्ते मैने पढ़ ली है जो मुझे स्वीकार है।

सन्दर्भकर्ता के हस्ताक्षर ....

दिनांक .... सन्दर्भकर्ता का नाम ....

संगठन नाम तथा पदनाम ....

नोटः- सन्दर्भ पत्र को भरे जाने तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल को कार्यवाही हेतु सन्दर्भित किए जाने के लिए केवल राजपत्रित श्रेणी के कार्यालयाध्यक्ष स्तर के अधिकारी ही अधिकृत है)

परीक्षण शुल्क का भुगतान अधिशासी अभियन्ताए निर्माण खण्ड-2ए लो0नि0वि0एलखनऊ के नाम देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।

नमूना प्रेषण प्रपत्र नमू-1 का संलग्नक नमू-1 अ

सन्दिर्भत नमूने निम्न शर्तो के अधीन ग्राहय अथवा अग्राहय (स्वीकार अथवा अस्वीकार) होगें

1. अग्रिम परीक्षण शुल्क केवल बैक ड्राफ्ट जो क्वालिटी प्रमोशन सेल के लिए अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड नं0.2, लो0नि0वि0ए लखनऊ के नाम देय होगा के द्वारा ही स्वीकार किए जायेगें। अपूर्ण या अंाशिक त्रुटि वाले बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नही किये जायेगे।
2. उच्च आदेशों पर यदि विशेष परिस्थितियों में कोई नमूना बिना परीक्षण शुल्क अग्रिम लिए स्वीकार किया जाना हो तो परीक्षण परिणाम प्रत्येक दशा में परीक्षण शुल्क के भुगतान प्राप्त होने के बाद ही निर्गत किये जायेगे।
3. नमूने यदि परीक्षण के लिए निर्धारित/आवश्यक मात्रा से कम है तो स्वीकार नहीं किए जायेगे। उच्च स्तरीय आदेशों के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में यह प्रमाणपत्र देने पर कि वर्तमान स्थिति में इससे अधिक नमूना भेजा जाना सम्भव नही है यह नमूने परीक्षण के लिए लिए जायेगें परन्तु उनका मानकों के अनुसार प्रतिनिधित्व न होने के बिन्दु पर दायित्व सन्दर्भकर्ता का होगा और यह तथ्य कि नमूने मानक के अनुसार नही थे एवं पूर्ण मात्रा में नही थे स्पष्ट रूप से परीक्षण आख्या पर अंकित किया जायेगा और परीक्षणों की संदिग्धता को भी इंगित किया जायेगा।
4. नमूने विधिवत् मजबूत थैली में सील्ड होने चाहिए तथा थैली कटीए फटी आदि नही होनी चाहिए।
5. नमूनों पर लगी पहचान पर्ची पर नमूना का नाम/ पे्रषक का पहचान चिन्ह तथा सन्दर्भकर्ता का हस्ताक्षर होना चाहिए।
6. संदर्भ पत्र के साथ या उसी पर सत्यापित नमूना सीलए सन्दर्भकर्ता द्वारा सत्यापित कर लगी होनी चाहिए। इसी से मिलान करके कोडिंग के समय नमूना खोला जायेगा।
7. पार्सल अथवा डाक से भेजे गये नमूने बिना पूर्ण प्रविष्टि भरे हुए पृथक सन्दर्भपत्र के नही स्वीकार्य किये जायेगें। स्पष्ट है कि यदि सन्दर्भपत्र नमूनें की थैली में होगा तो उसकी प्रविष्टियों की जांच नमूना लेने से पूर्व सम्भव नही हो पायेगी। इसलिए सन्दर्भपत्र पृथक से आना चाहिए। लेकिन इस दशा में भी सन्दर्भपत्र में गलत प्रविष्टि होने अथवा अपूर्ण सूचना होने अथवा परीक्षण शुल्क का बैक ड्राफ्ट न होने की स्थिति बाद में प्रकाश में आयेगी तो नमूना वापस करने में अनावश्यक शासकीय धन की छति होगीए इसलिए नमूना डाक अथवा पार्सल से स्वीकार करना वरीयता में नही है।

उपनिदेशक (कोडिंग प्रभाग)
क्वालिटी प्रमोशन सेल
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ